

UTTRAKHAND PUBLIC WORKS DEPARTMENT

PMGSY, Cons. Div., PWD, Haridwar, Head Office-KALSI, DEHRADUN



PRADHANMANTRI GRAM SADAK YOJANA
(WORLD BANK FUNDED)

FOREST PROPOSAL

PACKAGE NO. :- UT-

NAME OF DISTT.	:- DEHRADUN
NAME OF BLOCK	:- KALSI
NAME OF ROAD	:- DAMAN TO DASAU MOTOR ROAD
TOTAL ROAD LENGTH	:- 12.675 Km
VAN PANCHAYT	:- 2.2330 Hect.
CIVIL SOYAM	:- 3.6365 Hect.
PRIVATE LAND	:- 3.8610 Hect.

EXECUTIVE AGENCY	:- PUBLIC WORKS DEPARTMENT UTTRAKHAND
NODAL DEPARTMENT	:- RURAL DEVELOPMENT DEPTT.
NODAL AGENCY	:- UTTRAKHAND RURAL ROAD DEVELOPMENT AGENCY

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

के अन्तर्गत भारत सरकार,

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की

स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन

भूमि

हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करने

के प्रपत्र / प्रमाण पत्र

विषय सूचा

क्र०सं०	प्रमाण-पत्र/अन्य सूचनायें	पृष्ठ संख्या
1.	फैक्ट सीट	1-3
2.	प्रतिवेदन	4
3.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति	5-6
4.	भारत सरकार के प्रपत्र (I से V)	7-12
5.	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	13
6.	प्रभावित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूल	14-19
7.	परियोजना की लम्बाई चौड़ाई का विवरण	20
8.	प्रभावित वृक्षों एवं वास्तविक रूप से पातन किये जाने वाले वृक्षों की सूची	21-23
9.	प्रभावित वृक्षों एवं वास्तविक रूप से पातन किये जाने वाले वृक्षों मूल्य सूची (आष्ट ट्रन)	24
10.	बॉज प्रजाति के वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र	25
11.	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र	26
12.	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण-पत्र	27
13.	प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र	28-29
14.	प्रस्तावित परियोजना का लेआऊट प्लान एवं परियोजना का मदवार विवरण	30
15.	वैकल्पिक समरेखणों को मानचित्र पर प्रदर्शित कर उनके निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र	31
16.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मानचित्र एवं प्राक्कलन	32-33
17.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र	34
18.	परियोजना का बार चार्ट	35
19.	रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं मानचित्र	36
20.	प्रस्तावित परियोजना से वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण-पत्र	37
21.	प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र	38
22.	आम सभा का प्रमाण-पत्र	39
23.	परियोजना का कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र	40
24.	भू-वैज्ञानिक की आख्या (प्रतिवेदन सहित)	41-42
25.	भू-वैज्ञानिक एवं जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र	43-44
26.	जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र	45
27.	धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र	46
28.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र	47
29.	जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र	48
30.	दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र	49
31.	पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)	50
32.	वन भूमि के मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण-पत्र	51
33.	एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र	52
34.	मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की दरों में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप बढ़ी हुई धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र	53
35.	लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)	54-56
36.	प्रस्तावित स्थल, स्थल विशिष्ट होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र	57
37.	परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना	58-61
38.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र	62
39.	आर०सी०सी० पिलरों के सीमांकन का प्रांकलन एवं देय धनराशि का प्रमाण-पत्र	63
40.	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र	64
41.	जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान (लागू नहीं हैं।)	65
42.	परियोजना से सम्बन्धित अन्य सूचनायें	66-69
43.	मान चित्र	70

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

फैक्ट सीट

1. प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हे० में)–

आरक्षित वन भूमि	– शून्य
वन पंचायत भूमि	– 2.2330 हे०
सिविल सोयम भूमि	– 3.6365 हे०
निजी भूमि	– 3.8610 हे०
योग	– 9.7305 हे०

2. प्रस्तावक विभाग का नाम

– पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

3. वन प्रभाग का नाम

– चकरोता वन प्रभाग

4. प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है

– हाँ/ नहीं

5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है

– हाँ/ नहीं

6. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है।

– हाँ/ नहीं

7. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है।

– हाँ/ नहीं

8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है।

– हाँ/ नहीं

9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है।

– हाँ/ नहीं

10. बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है।

– हाँ/ नहीं

11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है

– हाँ/ नहीं

12. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है।
- हाँ/नहीं
13. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है - हाँ/नहीं
14. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है
- हाँ/नहीं
15. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है - हाँ/नहीं
16. प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है
- हाँ/नहीं
17. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है - हाँ/नहीं
18. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है
- हाँ/नहीं
19. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है - हाँ/नहीं
20. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है, तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)
- हाँ/नहीं
21. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है - हाँ/नहीं
22. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दू किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है
- हाँ/नहीं
23. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है - हाँ/नहीं
24. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाये।
- हाँ/नहीं
25. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं
- हाँ/नहीं

26. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाये) - /नहीं

27. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5 है0 से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) - /नहीं

28. मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है - /नहीं

29. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है - /नहीं

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है- /नहीं

30. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है - /नहीं

31. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न है यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित है - /नहीं


32 यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है - /नहीं


33. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है - /नहीं

34. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है - /नहीं

35. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है - /नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फ़ैक्ट शीट चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया गया है। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक :-1859/पी०-14/यू०आर०आर०डी०ए० दिनांक 09/01/2012 उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के फेज -IX के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट दसउ (CC 479200,H41,Pop-238) एवं अतलियो (CC 479700,H03,Pop-325) की आवादी अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते हैं। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के संरेखण में नाप भूमि 3.8610 है०, सिविल सोयम भूमि 3.6365 है० एवं वन पंचायत भूमि 2.2330 है०, प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन पंचायत एवम सिविल सोयम भूमि कुल 5.8695 है० है, जिसका भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है।

संरेखण नं० 1 :- के अनुसार यह मोटर मार्ग जनपद देहरादून में विकासखण्ड कालसी के अन्तर्गत हरिपुर से कोटी कि०मी० 19 (तुनिया) से समरेखण प्रारम्भ होता है। इस संरेखण में 13 हेयर पिन बैण्ड प्रस्तावित हैं। जो कि क्रमशः 0/27, 1/23, 3/6, 3/33, 4/18, 4/40, 5/16, 5/32, 6/5, 8/13, 8/24, 9/31, 10/39 पर है। इस संरेखण में अधिकतर नाप भूमि के अतिरिक्त बीच- बीच में सिविल सोयम भूमि आती है, इस संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण करने में वृक्ष प्रभावित नहीं होते हैं तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है एवं अधिक से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इसके अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई भी कम आती है। इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में गांववासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत है।

संरेखण नं० 2 :- के अनुसार यह मोटर मार्ग जनपद देहरादून में विकासखण्ड कालसी के अन्तर्गत हरिपुर से कोटी कि०मी० 19 (तुनिया) से समरेखण प्रारम्भ होता है। इस संरेखण की कुल ल० 13कि०मी० आती है। एवं 17 हेयर पिन बैण्ड पडते हैं। संरेखण की ल० अधिक होने के कारण तथा संरेखण का अधिकतर भाग नाप क्षेत्र से तथा वन क्षेत्र से होकर गुजरती है जिस कारण यह संरेखण तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं पाया गया है एवं ल० अधिक होने के कारण भी ग्रामवासी संरेखण से सहमत नहीं हैं। मोटर मार्ग का कुछ भाग कच्ची भूमि से भी गुजरता है। तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड नहीं मिलता है इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में गांववासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण नं० 2 को निरस्त कर संरेखण नं० 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं० 1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूवैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 12.675 कि०मी० लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 7 मीटर चौड़ाई में आने वाली वन पंचायत एवं सिविल सोयम वन भूमि 5.8695 है० प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कोठा बैंड से पंजिया मोटर मार्ग (18.275 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजागार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया गया है। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक :-..... उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के फेज -X के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट पंजिया (CC 47920500, H142, Pop-484) की आवादी अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते हैं। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।


उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के संरेखण में नाप भूमि 5.4540 है०, सिविल सोयम भूमि 7.9345 है० एवं वन पंचायत भूमि 0.616 है०, प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन पंचायत एवम सिविल सोयम भूमि कुल 8.5505 है० है, जिसका भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।


विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है।

संरेखण नं० 1 :- के अनुसार यह मोटर मार्ग जनपद देहरादून में विकासखण्ड कालसी के अन्तर्गत कोठा बैंड से पंजिया मोटर मार्ग का प्रारम्भ बिन्दु सहिया मोटर मार्ग के कि०मी० 9 कोठा बैंड से संमरेखण प्रारम्भ होता है। इस संरेखण में 8 हेयर पिन बैंड प्रस्तावित हैं। जो कि क्रमशः 6/26, 7/16, 10/28, 11/7, 11/18, 12/27, 13/8, 13/20 पर है, इस संरेखण में 2 आर०सी०सी० ब्रिज 8, 15 मी० के पड़ते हैं जो क्रमशः 3/40, 16/28, में पड़ते हैं, और 1 स्टील गार्डर ब्रिज 18 मी० का पड़ता है जो कि क्रमशः 4/29 में पड़ता है। इस संरेखण में अधिकतर नाप भूमि के अतिरिक्त बीच- बीच में सिविल सोयम भूमि आती है, इस संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण करने में वृक्ष प्रभावित नहीं होते हैं तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है एवं अधिक से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इसके अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई भी कम आती है। इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में गांमवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत है।

संरेखण नं० 2 :- के अनुसार यह मोटर मार्ग जनपद देहरादून में विकासखण्ड कालसी के अन्तर्गत कोठा बैंड से पंजिया मोटर मार्ग का प्रारम्भ बिन्दु सहिया मोटर मार्ग के कि०मी० 9 कोठा बैंड से संमरेखण प्रारम्भ होता है। इस संरेखण की कुल ल० 19.500 कि०मी० आती है, एवं 13 हेयर पिन बैंड पड़ते हैं। संरेखण की ल० अधिक होने के कारण तथा संरेखण का अधिकतर भाग नाप क्षेत्र से तथा वन क्षेत्र से होकर गुजरती है जिस कारण यह संरेखण तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं पाया गया है एवं ल० अधिक होने के कारण भी ग्रामवासी संरेखण से सहमत नहीं है। मोटर मार्ग का कुछ भाग कच्ची भूमि से भी गुजरता है। तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड नहीं मिलता है इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में गांमवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण नं० 2 को निरस्त कर संरेखण नं० 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं०1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 18.275 कि०मी० लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 7 मीटर चौड़ाई में आने वाली वन पंचायत एवं सिविल सोयम वन भूमि 8.5505 है० प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिशारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



21/5/13 - 2 -

M/R Km 8 (M...)

	Katha Band - Chand...	Kalsi	6.50	I & II	Tipau(302) Chandau(270) Khoi(308), Supau (278)	
1	Bhankhi to Janodow	Kalsi (T.S)	7.00	I & II	Badhau (298), Dabara (266) Janodow(300)	Shri Pedmender
3	Bisogilani to Gothn Joshi	Kalsi	4.00	I & II	Gothan Joshi (268)	Singh
4	Km.22.6 of MDR 33 to Birmau	Kalsi	3.00	I & II	Birmau (317)	Barthwal - IV
5	Purodi to Rikhar	Kalsi	3.00	I & II	Rikhar(412)	
6	Km. 8.00 of MDR 37 to Jagthan	Chakrata	36.00	I	Buraila (273), Jagthan (492)	

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी माने जायेंगे।

पत्रांक : /

11/5/13

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
हरिद्वार (मु0-कालसी)
दिनांक : /03/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त आदेशों के क्रम में तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार (मु0-कालसी)।
2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार (मु0-कालसी)।

11/5/13

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
हरिद्वार (मु0-कालसी)

परिशिष्ट

(देखिये नियम-6)

राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमती लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसठ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

ख) 1:50,000 स्केल में वन भूमि - संलग्न है ।
और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मेंप ।

ग) परियोजना की लागत । - 869.48 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने - अन्य कोई वैकल्पिक भूमि का उपलब्ध न होना ।
का औचित्य ।

ङ) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये - लागू नहीं ।
जाने के लिए)

च) रोजगार जिनके पैदा होने की - मोटर मार्ग के निर्माण से कुशल/अकुशल श्रमिकों को रोजगार हेतु लगभग 2000 मानव दिवस ।
संभावना है ।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार - सिविल सोयम भूमि - 3.6365 है० ।
विवरण । वन पंचायत भूमि - 2.2330 है० ।
कुल भूमि - 5.8695 है० ।

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का - लागू नहीं है ।
विवरण, यदि कोई है ।


- क) परिवारों की संख्या — शून्य
- ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या — शून्य
- ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) — शून्य
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हाँ/नहीं) — नहीं
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये) — संलग्न है
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा। — संलग्न है


दिनांक


प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

स्थान

नाम :-


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


(राजेश कुमार)
अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग- II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

परियोजना/स्कीम का सीन	- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	- उत्तराखण्ड
ii) जिला	- देहरादून
iii) वन प्रभाग	- चकराता वन प्रभाग
iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	- 5.8695 है०
v) वन की कानूनी स्थिति	- सिविल सोयम वन भूमि
vi) हरियाली का घनत्व 0.1 है० 2015	-
vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० - 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	- संलग्न है
viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	- संलग्न है
ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	- 1000 मी० (लगभग)
x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य - जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए)	- नहीं
xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	- नहीं
xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	- नहीं
8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	- वांछित भूमि न्यूनतम है सर्वेक्षण के आधार पर अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	- वन अधिनियम के उल्लंघन के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है।

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
- iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

- प्रतिपूरक वनीकरण सिविल एवं सोयम मौजामें किया जाना है।

- मैप संलग्न है

- संलग्न है

₹. 869572.11.739 @ 1,30000/- प्रति है० 15 26070/-

- संलग्न है

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7 (XI, XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल

- i. जिले का भौगोलिक क्षेत्र। -
- ii. जिले का वन क्षेत्र। -
- iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। -
- iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल -
प्रतिकूल वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित -
वन भूमि
- (ख) वनेत्तर भूमि पर तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
- (क) वन भूमि पर - 673.61 है०
- (ख) वनेत्तर भूमि पर - 171.00 है०

3088 क्व. किमी है०
2116.44 क्व. किमी है०

346.702 है०

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।
जिला वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए सिफारिश की जाती है।
12.82.14 व 20000/- 25,35000

दिनांक.....

स्थान.....

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता व. प्रभाग
कुलसी

हस्ताक्षर
नाम (S. दिवान सिंह)
सरकारी मोहर
राज्यीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता (देहरादन)

भाग-III

- 14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है -
क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
- 15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी -
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
- 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में -
सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि.....
स्थान.....

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने -
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये)

तथि :.....

स्थान :.....

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 18- राज्य सरकार की सिफारिश: -
(उपर्युक्त भाग-II या भाग-III या भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

तिथि :.....

स्थान :.....

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

**SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)**

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, PMGSY Construction Division, PWD, Haridwar (Headquarter Kalsi). Dehradun for diversion under FCA-1980) of 5.8695 ha of forest land non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of Daman to Dasau Motor Road under PMGSY 12.675 kms. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RE/PF/un-classed/Protect forest measuring 5.8695 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col 2 part-1 is unavoidable and is minimum required for the project yes


Whether any rare/ endangered/unique species of flora and fauna found in the area, if, so the detail there of:- NO
Whether any protected archeological/ heritage site/ defense establishment or any other important monuments is located in the area, if so the details there of with NOC form competent authority, if required. NO

The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. ✓

It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act, 1980 provisions. A detail report as per Para 19 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal x

Place : ...Dehradun...

Date :


उप-प्रशासकीय वनाधिकारी
चक्रवर्ती वन प्रभाग
देहरादून

Signature

Name... (उप-प्रशासकीय वनाधिकारी, डी.डी.)

Designation उप-प्रशासकीय वनाधिकारी

Office Seal चक्रवर्ती वन प्रभाग

देहरादून

NB

- x. state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted
xx. out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable

As per letter 2-2/2000 FC dated 16102000 from Ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving leases then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCP is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation forests is required

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

प्रमाणित किया गया है कि आज दिनांक 29/08/2013 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री बुद्धि सिंह पंवार वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्रीपटवारी, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री माया राम चौहान द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि शून्य है०, वन पंचायत भूमि 2.2330 है०, सिविल एवं सोयम भूमि 3.6365 है०, एवं नाप भूमि 3.8610 है०, प्रभावित होती है प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। तथा प्रस्तावित भूमि की माँग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि के अन्तर्गत जिन वृक्षों का पातन किया जाना है। उन्ही वृक्षों को चिन्हित किया गया है। उनकी सूची संलग्न है। (अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया गया है)

बुद्धि सिंह पंवार
वन दरोगा
सीवर रेंज डालघाट

आरो एल० शम
रा० उपनिरीक्षक
हस्ताक्षर
क्षेत्र
राजस्व विभाग
दिनांक 19-5-14

माया राम चौहान
ग्रामीण
पी० एम० ए० ए० ए० ए०
कालसी

प्रतिहस्ताक्षरित
वन क्षेत्राधिकारी
सीवर रेंज
चक्रवर्ती वन प्रभाग

उप-प्रमानीय वनाधिकारी
चक्रवर्ती वन प्रभाग
कालसी

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रमानीय वनाधिकारी
चक्रवर्ती वन प्रभाग
देहरादून

प्रतिहस्ताक्षरित
तहसीलदार



प्रतिहस्ताक्षरित
उपजिलाधिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित
जिलाधिकारी
देहरादून

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लैन्ड शेड्यूल

(वन विभाग) आरक्षित वनभूमि

जिला	प्रभाग का नाम	वन ब्लॉक	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	क्षेत्रफल (हे० में)
देहरादून	चकराता वन प्रभाग				शून्य	

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
रीबर रेंज
चकराता वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता वन प्रभाग




परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


लैन्ड शेड्यूल


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण में आ रही भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	भूमि की किस्म	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)
1	वन पंचायत भूमि	3190	7	2.2330
2	सिविल एवं सोयम भूमि	5195	7	3.6365
3	नाप भूमि	4290	9	3.8610
योग		12.675		9.7305

उपरोक्त भूमि अधिग्रहित की जानी है, जिसमें से 5.8695 है० वन पंचायत तथा सिविल एवं सोयम भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार किया गया है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

"अनुसूची" सिविल एवं सोयम भूमि
मौजा-दौ

क्रम सं०	जिला	परगना	पट्टी	तहसील	मौजा	खाता संख्या	भूमि का विवरण		
							खसरा नम्बर	कुल रकबा (है० में)	अर्जित रकबा (है० में)
1	देहरादून	जौनसार बावर	विसाहल	कालसी	दौ	86	356	2.014	0.252
							359	0.520	0.084
							31	0.900	0.077
							53	2.030	0.602
							360	2.000	0.322
							426	1.730	0.112
							47	0.070	0.005
							363	0.720	0.056
							386	1.000	0.098
							432	0.397	0.084
							385	0.045	0.007
							440	0.061	0.010
							442	0.012	0.008
							446	0.227	0.017
							457	0.012	0.012
							458	0.101	0.005
							566	0.058	0.025
							586	0.200	0.005
							929	0.840	0.032
							856	1.169	0.056
935	9.550	0.0224							
1004	1.560	0.084							
838	0.250	0.077							
							योग	2.254	
2	देहरादून	जौनसार बावर	विसाहल	कालसी	दौ	89	637	0.704	0.021
							योग	0.021	
कुल योग								2.275	

मोटर मार्ग हेतु अर्जित मौजा दौ सिविल सोयम भूमि - 2.275 है०।



परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसठ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

"अनुसूची" वन पंचायत भूमि
मौजा-दौ वन पंचायत

क्रम सं०	जिला	परगना	खत	तहसील	मौजा	खाता संख्या	भूमि का विवरण		
							खसरा नम्बर	कुल रकबा (है० मे)	अर्जित रकबा (है० मे)
1	देहरादून	जौनसार बावर	विसाहल	कालसी	दौ	85	362	2.200	0.462
							361	3.300	0.350
							425	1.700	0.434
							418	1.630	0.238
							409	1.500	0.098
							408	3.000	0.028
							468	1.790	0.112
							488	1.470	0.105
							494	1.400	0.098
							495	2.000	0.028
							511	2.000	0.112
							598	1.570	0.070
							638	1.420	0.042
							367	1.380	0.0056
योग								2.233	

मोटर मार्ग हेतु अर्जित मौजा दौ वन पंचायत भूमि - 2.233 है०।



परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

"अनुसूची" सिविल एवं सोयम भूमि
मौजा-अतल्यो

क्रम सं०	जिला	परगना	पट्टी	तहसील	मौजा	खाता संख्या	भूमि का विवरण		
							खसरा नम्बर	कुल रकबा (है० में)	अर्जित रकबा (है० में)
1	देहरादून	जौनसार बावर	विसाहल	कालसी	अतल्यो	75	187	0.620	0.070
							240	1.978	0.210
							244	0.833	0.056
							246	0.623	0.056
							294	0.833	0.098
							299	1.060	0.070
							300	1.000	0.126
							293	0.500	0.140
							392	0.830	0.091
							293	0.170	0.010
							322	0.194	0.008
							353	0.065	0.008
							451	0.639	0.070
							440	0.733	0.028
							441	0.033	0.008
							442	0.010	0.003
							446	0.158	0.005
							436	0.315	0.035
							465	1.243	0.041
							770	1.075	0.008
668	0.049	0.010							
504	0.360	0.038							
562	0.372	0.025							
640	0.025	0.015							
योग								1.229	
2	देहरादून	जौनसार बावर	विसाहल	कालसी	अतल्यो	81	470	0.202	0.010
योग								0.010	
कुल योग								1.239	

मोटर मार्ग हेतु अर्जित सिविल सोयम भूमि - 1.239 है०।



परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

"अनुसूची" सिविल सोयम भूमि
मौजा- डिमो

क्रम सं०	जिला	परगना	खत	तहसील	मौजा	खाता संख्या	भूमि का विवरण		
							खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे० मे)	अर्जित रकबा (हे० मे)
1	देहरादून	जौनसार बावर	विसाहल	कालसी	डिमो	119	1163	0.840	0.0350
							1310	0.590	0.0560
							1315	0.113	0.0180
							1318	0.350	0.0135
							योग		

मोटर मार्ग हेतु अर्जित मौजा डिमो सिविल सोयम भूमि - 0.1225 है०।

मोटर मार्ग हेतु अर्जित कुल वन पंचायत तथा सिविल सोयम भूमि - 5.8695 है०।

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र डिमो
दिनांक 19-5-14
देहरादून

L.S.
उपजिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
कालसी




जिलाधिकारी
जिलाधिकारी देहरादून




परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज-X में प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि० मी०), के नव निर्माण में वन पंचायत भूमि की लम्बाई 3190 सिविल सोयम भूमि की लम्बाई 5195 मी०, तथा निजी भूमि की लम्बाई 4290 मी० है, वन पंचायत एवं सिविल सोयम भूमि 7.00 मी० चौड़ाई में तथा निजी भूमि को 9.00 मी० चौड़ाई में लिया गया है जिसका कुल अर्थात् 9.7305 है० है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिसाक्षी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसत मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

१ ड्रेसरू मोटर मार्ग 13 कि०मी० का पी.एम.जी.एच.वाई. कालसी, राजस्व विभाग, ①
भाग के साथ सम्बन्धित निरीक्षण में 7 मी० में वृद्धों के गणना सूची दिनांक - 1/1
संयुक्त - (कुनिया, दौऊ, अतलेऊ, कोला, मोटर मार्ग)

प्रजाति	व्यास	भूमि का प्रकार	क्र० सं०	प्रजाति	व्यास	भूमि का प्रकार
खडिक हरा खड़ा	20-30	सिविल भूमि	41	खडिक हरा खड़ा	40-50	नाप भूमि
"	20-30	"	42	"	20-30	"
भीमल हरा खड़ा	30-40	"	43	"	10-20	"
खडिक हरा खड़ा	40-50	"	44	"	20-30	"
"	20-30	"	45	"	30-40	"
"	10-20	"	46	भीमल हरा खड़ा	10-20	"
"	10-20	"	47	"	20-30	"
"	50-60	नाप भूमि	48	"	20-30	"
"	30-40	"	49	"	10-20	"
भीमल हरा खड़ा	40-50	"	50	खडिक हरा खड़ा	70-80	"
कापड हरा खड़ा	10-20	"	51	"	70-80	"
गुरिभाल हरा खड़ा	20-30	"	52	"	80-90	"
खडिक हरा खड़ा	10-20	"	53	भीमल हरा खड़ा	20-30	"
"	20-30	"	54	"	30-40	"
"	40-50	"	55	"	10-20	"
"	80-90	"	56	खडिक हरा खड़ा	10-20	"
"	20-30	"	57	"	10-20	"
दुधला (लिमला) हरा खड़ा	30-40	"	58	"	20-30	"
खडिक हरा खड़ा	10-20	"	59	"	10-20	"
गुरिभाल हरा खड़ा	10-20	"	60	"	10-20	"
"	20-30	"	61	भीमल हरा खड़ा	20-30	"
"	10-20	"	62	"	10-20	"
"	20-30	"	63	चीड हरा खड़ा	40-50	सिविल भूमि
"	20-30	"	64	"	50-60	"
"	0-20	"	65	खडिक हरा खड़ा	20-30	नाप भूमि
"	20-30	"	66	"	20-30	"
"	20-30	"	67	चीड हरा खड़ा	20-30	सिविल भूमि
"	10-20	"	68	"	20-30	"
खडिक हरा खड़ा	10-20	"	69	"	30-40	"
"	20-30	"	70	"	20-30	"
"	20-30	"	71	भीमल हरा खड़ा	20-30	सिविल भूमि
"	10-20	"	72	"	10-20	"
"	20-30	"	73	"	30-40	"
सिगरी (गोकी) हरा खड़ा	20-30	"	74	खडिक हरा खड़ा	30-40	नाप भूमि
भीमल हरा खड़ा	10-20	"	75	भीमल हरा खड़ा	20-30	"
"	10-20	"	76	दुधला (लिमला) हरा खड़ा	40-50	"
खडिक हरा खड़ा	20-30	"	77	भीमल हरा खड़ा	20-30	"
भीमल हरा खड़ा	10-20	"	78	"	10-20	"
"	10-20	"	79	खडिक हरा खड़ा	20-30	"
खडिक हरा खड़ा	20-30	"	80	चीड हरा खड़ा	40-50	सिविल भूमि

पेज नं 2 पर

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसठ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रजाति	वास्त	भूमि का प्रकार	क्र०	प्रजाति	वास्त	भूमि का प्रकार
ग्रीड हरा खड़ा	20-30	सिक्लि भूमि	116	गुरिघाल हरा खड़ा	20-30	सिक्लि भूमि
खडिक	20-30	नाप भूमि	117	खैर हरा खड़ा	10-20	" "
भीमल	20-30	" "	118	" "	10-20	" "
" "	30-40	" "	119	" "	10-20	" "
घोंडी हरा खड़ा	20-30	सिक्लि भूमि	120	" "	20-30	" "
" "	10-20	" "	121	" "	20-30	" "
" "	20-30	" "	122	" "	20-30	" "
गुरिघाल हरा खड़ा	20-30	" "	123	" "	20-30	" "
" "	10-20	" "	124	खडिक हरा खड़ा	20-30	" "
वहेड़ा हरा खड़ा	40-50	" "	125	गुरिघाल " "	10-20	" "
असिना " "	30-40	" "	126	" "	20-30	" "
गुरिघाल हरा खड़ा	10-20	" "	127	" "	10-20	" "
" "	20-30	" "	128	" "	10-20	" "
भीमल " "	30-40	नाप भूमि	129	" "	20-30	" "
खडिक " "	20-30	" "	130	" "	10-20	" "
भीमल " "	10-20	" "	131	" "	10-20	" "
खडिक " "	20-30	" "	132	" "	20-30	" "
आम हरा खड़ा	0-10	" "	133	आम हरा खड़ा	10-20	" "
" "	0-10	" "	134	" "	10-20	" "
" "	0-10	" "	135	गुरिघाल हरा खड़ा	11-20	" "
" "	0-10	" "	136	" "	20-30	" "
गुरिघाल हरा खड़ा	10-20	सिक्लि भूमि	137	आम हरा खड़ा	10-20	" "
" "	10-20	" "	138	" "	10-20	" "
असिना हरा खड़ा	10-20	" "	139	गुरिघाल हरा खड़ा	20-30	" "
गुरिघाल " "	20-30	" "	140	" "	20-30	" "
" "	20-30	" "	141	खडिक हरा खड़ा	40-50	" "
" "	30-40	" "	142	वहेड़ा " "	30-40	" "
" "	20-30	" "	143	दुधला (तिपना) " "	60-70	" "
खैर हरा खड़ा	10-20	" "	144	असिना हरा खड़ा	10-20	" "
" "	10-20	" "	145	" "	10-20	" "
" "	10-20	" "	146	कावड़ हरा खड़ा	30-40	" "
" "	20-30	" "	147	" "	20-30	" "
" "	20-30	" "	148	" "	" "	" "
गुरिघाल हरा खड़ा	20-30	" "	149	" "	" "	" "
" "	20-30	" "	150	" "	" "	" "

(आम राम चौक)

अभिनि
निर्माण खास लोपानेकी
कारिदार (सु० कालकी)

श्रीवत रज

प्रकरणा वन प्रशासक

(जवर सिंह शकल)
व० वी० अ०
कोठी वी०


महायक अभियन्ता

(बुद्धि सिंह पंवार)
व० व०
कोठी अनुभाग


परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान प्रस्तावक विभाग द्वारा वन्य जीव एवं स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून




परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र

प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने की टोपोशीट का मानचित्र जिसमें आरक्षित वन भूमि को हरे रंग से, सिविल वन भूमि को पीले रंग से, वन पंचायत भूमि को नीले रंग से, नाप भूमि को अन्य रंग से, प्रस्तावित समरेखण को लाल रंग से एवं वैकल्पिक समरेखणों को अन्य रंग से दर्शाया गया है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



टोपो सीट

NAME OF WORK :- ALIGNMENT OF DEMAN TO DESAU MOTC
 LENGTH OF ROAD :- 12.675 KM.



ALIGNMENT-1 IS RECOMENDED FOR SANCTION SHOWN IN RED.

SCALE:-1:50,000

सी० एम० जो० एम० वाई० वृत्त
 27/06/13

S.NO.	ALIGNMENT	COLOUR
1.	ALIGNMENT-1.	
2.	ALIGNMENT-2.	
3.	EXISTING ROAD	

J.E.
 सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
 बन संचालक कार्यालय
 शीवर रोज
 चक्रवर्ती वन प्रभाग

अधीशासी अभियन्ता
 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
 निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
 हरिद्वार
 वन-प्रभागीय वनाधिकारी
 चक्रवर्ती वन प्रभाग
 जवाबदी

प्रभागीय वनाधिकारी
 चक्रवर्ती वन प्रभाग
 चक्रवर्ती (देहरादून)

मूल्यांकन सूची

वन विभाग(वन क्षेत्राधिकारी) द्वारा तैयार संलग्न की जानी है।


परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


बाँज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज-X में प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि० मी०), के हस्तान्तरण हेतु मेरे द्वारा दिनांक 29/08/2013 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बाँज वृक्षों गणना शून्य पायी गई :-

क्र०सं०	ब्लॉक	प्रजाति	व्यास वर्ग								योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	
शून्य											

टिप्पणी :- उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।


वन-क्षेत्र अधिकारी
रीबर रंज
प्रकल्पता वन प्रभाग


वन-प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
देहरादून



प्रभागीय वन-अधिकारी
चकराता वन प्रभाग
देहरादून
वन संरक्षक

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण-पत्र

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज-X में प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि० मी०), का नव निर्माण में प्रयुक्त 5.8695 है० सिविल सोयम भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।



वन क्षेत्र अधिकारी
रीबर रेंज
उत्तरांचल वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरांचल वन प्रभाग
कालसी


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरांचल वन प्रभाग
उत्तरांचल (देहरादून)



डिजिटल मैप - जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दमन से दसर (ल0 12.675 किमी0)




परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


प्रस्तावित परियोजना का मद वार विवरण

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज- X में प्रस्तावित दमन से दसउ ,मोटर मार्ग (12.675 कि० मी०), निर्माण हेतु परियोजना कार्य का विवरण निम्न प्रकार है।

1. पहाड़ कटान कार्य मार्ग निर्माण हेतु।
2. रिटेनिंग वॉल एवं वेस्ट वॉल का निर्माण।
3. स्कपर एवं कॉजवे का निर्माण ।
4. कच्ची तथा पक्की नाली का निर्माण।
5. कि०मी० स्टोन, है०मी० स्टोन, एज स्टोन तथा संकेतक बोर्ड लगाने का कार्य।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून




परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रस्तावित परियोजना हेतु दो संरेखणों पर विचार किया गया। संरेखण-2 को ग्राम सभा की आपत्ति एवम् समरेखण की लम्बाई अधिक होने के कारण निरस्त किया गया। प्रस्तावित संरेखण-1 को ग्राम सभा की सहमति तथा कम वृक्षों की संख्या के कारण उचित पाया गया। तकनीकि, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से भी संरेखण-2 की अपेक्षा संरेखण-1 को उपयुक्त पाया गया है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



प्राक्कलन क्षतिपूरक वृक्षारोपण

प्राक्कलन बावत दमन-दसऊ मोटर मार्ग में प्रस्तावित क्षेत्रफल (5.8695×2=11.739) है0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य

क्र० सं०	कार्य का विवरण	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
	व्यय प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य)				
1	सर्वे एवं सीमांकन	है०	11.739	92.00	1079.99
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	है०	11.739	1214.00	14251.15
3	अग्रिम दिवाल बन्दी (फैन्सिंग)	है०	986.07	224.00	220879.68
4	कन्दूर फरों कार्य	है०	0.00	0.00	0.00
5	अग्रिम मृदा कार्य (0.30×0.30×0.45)	सं०	23478	5.70	133824.60
6	निरीक्षण बटिया बनाना	है०	11.739	373.00	4378.65
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	सं०	23478	4.58	107529.24
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र-संयंत्र औजार तेज करना	है०	11.739	376.00	4413.86
9	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण	है०	9.40	7040.00	66176.00
	योग प्रथम चरण				552533.17
	द्वितीय चरण				
1	गड्डा भरान कार्य (0.30×0.30×0.45)	सं०	23478	0.97	22773.66
2	कन्दूर फरों में बीज बुवाई	है०	0	0.00	0.00
3	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	सं०	23478	0.82	19251.96
4	पौध दुलान कार्य (35 किमी० तक)	सं०	23478	8.00	65738.40
5	पौध लोडिंग एवं अनलोडिंग	सं०	23478	56.00	13147.68
6	पौध रोपण एवं थावलाबन्दी	सं०	23478	2.00	46956.00
7	निराई गुडाई एवं मल्लिंग (दो बार)	सं०	23478	2.00	46956.00
8	खाद व दवा पर व्यय	सं०	0	0.00	0.00
9	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 10 है० पर)	है०	11.739	475.00	44608.20
	9.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०।	है०	0.00	282.00	0.00
	9.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना।	है०	0.00	213.00	0.00
	9.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	है०	0	0.00	0.00
	अ:- प्रशिक्षण	ल०स०	0.00	0.00	0.00
	ब:- प्रोत्साहन	है०	0	0.00	0.00
10	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौध दुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि कय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पौलीथीन सीट कय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी, फील्ड, स्तरीय, कार्यो का प्रचार-प्रसार एवं डोक्यूमेंटेशन आदि कार्य।	है०	0.00	1021.00	0.00
11	कन्दूर खाईयों में घास स्लिप का रोपण दुलान सहित।	है०	0	0.00	0.00
	योग द्वितीय चरण				259431.90
	कुल योग प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण				811965.07

तृतीय चरण				
रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	है0	11.739	634.00	89310.31
2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे-घास फेंस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0।	है0	0.00	0.00	0.00
2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना।	है0	0.00	0.00	0.00
2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	है0	0	0.00	0.00
अ- प्रशिक्षण	है0	0	0.00	0.00
ब- प्रोत्साहन	है0	0	0.00	0.00
योग तृतीय चरण				89310.31
चतुर्थ चरण				
1 रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	है0	11.739	634.00	89310.31
2 2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे-घास फेंस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0।	है0	0.00	0.00	0.00
3 2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना।	है0	0.00	0.00	0.00
4 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	है0	0	0.00	0.00
अ- प्रशिक्षण	है0	0	0.00	0.00
ब- प्रोत्साहन	है0	0	0.00	0.00
योग चतुर्थ चरण				89310.31
पंचम चरण				
5 रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	है0	11.739	634.00	89310.31
षष्ठम चरण				
6 रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	है0	11.739	634.00	89310.31
सप्तम चरण				
7 रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	है0	11.739	634.00	89310.31
अष्टम चरण				
8 रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	है0	11.739	634.00	89310.31
नवम चरण				
9 रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	है0	11.739	634.00	89310.31
दशम चरण				
10 रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	है0	11.739	634.00	89310.31
कुल योग				535861.87
महा योग				1526447.56
या -				1526300.00

५०६०

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता (देहरादून)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
चकराता वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी
रीबर रेंज
चकराता वन प्रभाग

12/12/2018
12/12/2018
12/12/2018

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्कीम हेतु दुगुनी अर्जित सिविल एवं सोयम भूमि का विवरण

क्रम सं०	जिला	परगना	पट्टी	तहसील	मौजा	खाता संख्या	भूमि का विवरण			अन्य विवरण
							खसरा न०	कुल रकबा है०	अर्जित रकबा है०	
1	देहरादून	जौनसार बावर	विसाहल	कालसी	अतल्यौं	75	235	2.222	2.222	
							118	1.000	1.000	
							119	1.000	1.000	
							120	1.000	1.000	
							295	1.250	1.250	
							296	1.500	1.500	
							297	1.000	1.000	
							298	1.000	1.000	
							395	1.500	1.500	
							396	1.000	0.267	
योग									11.739	

वृक्षारोपण हेतु दुगुनी अर्जित सिविल एवं सोयम वन भूमि 11.739 है० ।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

राजस्व उप निरीक्षक

शुभ उपनिरीक्षक

दिनांक 19/05/14

18/05/14

C.S.
उपजिलाधिकारी

उप जिलाधिकारी
कालसी




जिलाधिकारी
देहरादून

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज- X में प्रस्तावित दमन से दसउ ,मोटर मार्ग (12.675 कि० मी०), के नव निर्माण हेतु अर्जित सिविल एवं सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 5.8695 है० है के हस्तान्तरण मामले में दुगने क्षेत्रफल 11.739 है० अनवरत सिविल एवं सोयम भूमि मौजा अतल्यो में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपर्युक्त है।


कनिष्ठ अभियन्ता


पी०एम०जी०एस०वाई

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता


पी०एम०जी०एस०वाई

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिसासी अभियन्ता


पी०एम०जी०एस०वाई

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


राजस्व उप निरीक्षक


14-5-14
14-5-14

उपजिलाधिकारी


उप जिलाधिकारी
कालसी


तहसीलदार




जिलाधिकारी

जिलाधिकारी देहरादून


वन क्षेत्राधिकारी

रीवर रंज

चक्रवर्ती वन प्रभाग


उप-प्रमाणिक वनाधिकारी

चक्रवर्ती वन प्रभाग

चक्रवर्ती देहरादून


उप-प्रमाणिक वनाधिकारी

चक्रवर्ती वन प्रभाग

कालसी




बार चार्ट

NAME OF ROAD :- DAMAN TO DESAU MOTOR ROAD

BAR CHART

LENGTH :- 12.675 KM




S.N	Type of land	Length	Width	Hect.	Sym.
01	Map Land	4290	9.00	3.8610	[Pink]
02	Civil Soyam	5195	7.00	3.6365	[Yellow]
03	Van panchayat	3190	7.00	2.2330	[Blue]
04	Forest Land	---	---	---	[Green]
Scale					H = 1mm = 20 mts



J.E. *[Signature]*
 सहायक अभियन्ता
 आर. ए. सी. ए. संजना

[Signature]
 अधिकारी अभियन्ता
 निर्माण एवं लोडिंग विभाग

निर्माण एवं लोडिंग विभाग
 हरिद्वार (मु.स.स.स.)



प्राक्कलन क्षतिपूरक वृक्षारोपण

प्राक्कलन बावत दमन-दसऊ मोटर मार्ग में प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर 50 मी० चौड़ाई 12.675 किमी० में पथ वृक्षारोपण

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2		3	4	5
1	सीमेंट खम्बे कय करना (1.80x0.10x0.08)	प्रति खम्बा	2750	313.00	860750.00
2	खम्बों का ढुलान ट्रक द्वारा	प्रति खम्बा	2750	6.00	16500.00
3	खम्बों को गाढ़ने हेतु 45 सेमी० गहरे गढ़दे खुदान	प्रति गढ़दा	2750	7.00	19250.00
4	पौधों की कीमत	प्रति पौध	1270	5.40	6858.00
5	खम्बों को गढ़दों में गाढ़ना (1:6:12 सीमेंट कंक्रीट के साथ)	प्रति खम्बा	2750	22.00	60500.00
6	कांटेदार तार खींचना (4 लडो में)	रोमी०	50700	3.00	152100.00
7	कांटेदार तार का ढुलान किमी० बण्डल	प्रति बण्डल	126	LS	10000.00
8	कांटेदार तार की कीमत (बाजार दरो पर)	प्र०किग्रा	6337.5	70.00	443625.00
9	पौधारोपण हेतु गढ़दे खुदान (0.60 मी०x0.60मी०x0.60 मी०)	प्रति गढ़दा	1270	18.00	22860.00
योग अग्रिम मृदा कार्य प्रथम वर्ष-					1592443.00
10	पौधारोपण हेतु गढ़दे भरान (0.60 मी०x0.60मी०x0.60 मी०)	प्रति गढ़दा	1270	1.90	2413.00
11	पौधारोपण करना, मय थावला बन्दी	प्रति पौध	1270	25.00	31750.00
12	थैली पौधों का ढुलान 45 किमी० औसत दूरी से	प्र०पौध / सै० / किमी०	1270	54%	30861.00
13	गढ़दों में गोबर की खाद डालना मय कीमत	प्रति घ०मी०	75	LS	83500.00
14	गोबर की खाद का ढुलान	प्रति घ०मी०	75	21.00	1575.00
15	वनीकरण की देख-रेख हेतु चौकीदार	प्रति माह		6.00	60960.00
योग द्वितीय वर्ष-					211059.00
16	रोपण के उपरान्त तृतीय वर्ष				0.00
	वनीकरण देख-रेख हेतु चौकीदार	प्र०पौध / वर्ष	1270	6.00	91440.00
17	रोपण के उपरान्त चतुर्थ वर्ष				0.00
	वनीकरण देख-रेख हेतु चौकीदार	प्र०पौध / वर्ष	1270	6.00	91440.00
18	रोपण के उपरान्त पंचम वर्ष				0.00
	वनीकरण देख-रेख हेतु चौकीदार	प्र०पौध / वर्ष	1270	6.00	91440.00
19	रोपण के उपरान्त षष्ठम वर्ष				0.00
	वनीकरण देख-रेख हेतु चौकीदार	प्र०पौध / वर्ष	1270	6.00	91440.00
20	रोपण के उपरान्त सप्तम वर्ष				0.00
	वनीकरण देख-रेख हेतु चौकीदार	प्र०पौध / वर्ष	1270	6.00	91440.00
21	रोपण के उपरान्त अष्ठम वर्ष				0.00
	वनीकरण देख-रेख हेतु चौकीदार	प्र०पौध / वर्ष	1270	6.00	91440.00
22	रोपण के उपरान्त नवम वर्ष				0.00
	वनीकरण देख-रेख हेतु चौकीदार	प्र०पौध / वर्ष	1270	6.00	91440.00
23	रोपण के उपरान्त दशम वर्ष				0.00
	वनीकरण देख-रेख हेतु चौकीदार	प्र०पौध / वर्ष	1270	6.00	91440.00
योग तृतीय वर्ष-					731520.00
महायोग -					2535022.00
या					2535000.00

प्रमाणीय वनाधिकारी

चकराता वन प्रभाग

कराता (देहरादन)


₹ 20

उप प्रमाणीय वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
चकराता वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी
रीबर रेंज
चकराता वन प्रभाग

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से मोटर मार्ग के अन्तर्गत चिन्हित वृक्षों के अतिरिक्त अन्य वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।


वन क्षेत्राधिकारी
रीबर रेंज
शकराता वन प्रभाग


वन-प्रभागीय वनाधिकारी
शकराता वन प्रभाग
कालसी



प्रभागीय वनाधिकारी
शकराता वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी
शकराता देहरादून





:- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत दमन से दसउ मीटर मार्ग में जो सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है, उस सर्वेक्षण कार्य में जो नाप व बेनाप भूमि आ रही है उसके समस्त ग्रामवासियों को रिती प्रथा से कोई आपत्ति नहीं है।

अतः इस सर्वेक्षण कार्य से समस्त ग्राम वासी पूर्णतः सहमत हैं।

धन्यवाद,

① सीता राम राणा

② बरपारम, राठम अं पुं मद्याक

दिनांक
१५/१३

③ मीनू न. म. ५

④ अमरा सिंह

⑤ जान सिंह

⑥ मुन्ना राणा

⑦ लाफकराम राणा


⑧ विरेंद्र राणा

⑨ लुलपीराम राणा

⑩ सन्दीप राणा

⑪ बलवीर सिंह


⑫ रानीध राणा



परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसठ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


वन संरक्षण अधिकारी
रीवर रेंज
चकराता वन प्रभाग


वन-प्रशासकीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी


वन-प्रशासकीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी देहरादून



भू-गर्भीय आख्या

दमन से दसउ मोटर मार्ग, जनपद देहरादून समरेखण स्थल की भू-गर्भीय आख्या।

1. प्रस्तावना:— निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार, मुख्यालय—कालसी, देहरादून द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दमन से दसउ मोटर मार्ग कुल लम्बाई 12.675 किमी० है। अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार, मुख्यालय—कालसी, देहरादून के अनुरोध पर उक्त स्थल के समरेखण स्थल को भू-गर्भीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 12.05.2013 को मेगोट इनजीनियरिंग कन्सलटेन्सी प्रा० लि०, देहरादून के कर्मचारी की उपस्थिति में किया गया।
2. स्थिति:— उक्त मोटर मार्ग का समरेखण स्थल जनपद देहरादून के निर्माणधीन हरीपुर से कोटी कि०मी० 19 से प्रस्तावित मोटर मार्ग में स्थित है। उक्त मोटर मार्ग में 13 हेयर पिन बैंड है।
3. भू-गर्भीय स्थिति:— प्रस्तावित समरेखण स्थल गढ़वाल लेसर हिमालय में स्थित है जो कि दक्षिण में मेन बाउन्ड्री थ्रस्ट (MBT) एवं उत्तर में मेन सेन्ट्रल थ्रस्ट (MCT) द्वारा सीमित है। समरेखण स्थल के क्षेत्र में गढ़वाल ग्रुप के थिनली फोलिएटेड क्वार्टजाइट्स विद्यमान है, जो कि अनेक माइनर एवं जेरक शियर्स एवं चार संधियों से युक्त है। प्रस्तावित मार्ग का प्रारम्भिक भाग 35° से 48° के झुके ढलानों से होकर गुजरेगा, जिस पर अवस्थित भौल दृष्टिगोचर है। मार्ग के कतिपय स्थानों पर ढालों की तीव्रता 60° है तथा इन स्थानों पर मैसिव चट्टानें अवस्थित दृष्टिगोचर है। समरेखण का लगभग 6.750 किमी भाग 32° से 45° के कोण पर झुके N की दिशा में उन्मुख ढालों से होकर गुजरता है जो किथिक ओवर बर्डन मैटेरियल/रेजीडुअल सायल से ढके हुए है। इन ढालों पर स्थित ओवर बर्डन मैटेरियल/रेजीडुअल सायल की अन्ड्रेन्ड शिर स्ट्रेन्थ 100 K Pa से 150 K Pa तक स्थल पर आंकी गई, स्थल के फेश, कोम्पेक्ट, पार्सियली वेदर्ड है तथा शियर्ड/सैटर्ड, थिनली फोलिएटेड है। इन क्वार्टजाइट्स की संधिया परस्पर वेज (Wedge) का निर्माण करती है। स्थल पर इन शैलों को सुनिएक्सियल कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ अलग-अलग स्थानों पर 20-30 M Pa तथा 100-150 M Pa (ISRM-Manual Index) तक आंकी गई। प्रथमदृष्टया समरेखण स्थल एवं इसके समीप के क्षेत्र में कहीं भी भू-स्खलन/भू-धंसाव दृष्टिगोचर नहीं है। प्रस्तावित मार्ग का अधिकतम मार्ग सनी फेस से होकर गुजरता है।

समरेखण क्षेत्र की भू-गर्भीय स्थिति, भू-तकनीकी आंकलन, भू-आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं,

4. सुझाव:-

1- मार्ग की चौड़ाई यथा सम्भव पार्ट कर/पार्ट फिल द्वारा की जाए न कि हिल साईड स्लोप को काट कर।

2- चट्टानी भागों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिये इन पर सीमित विस्फोट किये जाये।

3- सड़क की स्थिरता के लिए उचित Drainage की व्यवस्था की जाये।

4- जहां पर आवश्यकता हो, रिटेनिंग/ब्रैस्ट वॉल का निर्माण किया जाये।

5- पहाड़ी क्षेत्र में बनने वाले मार्गों के लिए निर्धारित सिविल अभियान्त्रिक विशिष्टियों एवं मानकों का पालन किया जाए।

5. निष्कर्ष:- समरेखण स्थल पर किए गए भू-गर्भीय अध्ययन के आधार पर उपरोक्त सुझाव का अनुपालन करते हुए यह समरेखण मार्ग बनाने हेतु उपयुक्त है।




J. N. Dheradiyal
 (J. N. Dheradiyal)
 Director
 Engineering & Survey Division
 Geological Survey of India
 (जे०एन०डौडियाल)
 भूवैज्ञानिक


परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसठ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भू-वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land to be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted steep hill slope as also to be avoided
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical Engineers and Geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.


A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground Engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads. Broadly the measures to be taken have been identified as :-


1. Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided. Box cutting is to be avoided to the extent possible.
2. Blasting by explosives is to be restricted to the minimum Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for aniline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process
3. All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are provided for purposes of establishing the slips. Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants


In certain selected unstable areas terraced has also been plasticized as a stabilizing measure with god results

- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guide lines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रायोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 5.8695 है० वन पंचायत तथा सिविल एवं सोयम भूमि की माँग न्यूनतम है इससे कम भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

उप-प्रमाणित नाधिकारी
करता का प्रमाण


प्रमाणित बनाधिकारी
करता का प्रमाण
प्रमाणित बनाधिकारी


कनिष्ठ क्षेत्राधिकारी
रीवर रंज
करता का प्रमाण





परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र




प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित सिविल एवं सोयम वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रायोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र 
दिनांक 14-5/16


तहसीलदार




वन क्षेत्राधिकारी


रीबर रेंज


बकराता वन प्रभाग


प्रमाणित वनाधिकारी
बकराता वन प्रभाग

बकराता देहरादून

उपजिलाधिकारी


उप जिलाधिकारी
कालसी


जिलाधिकारी
जिलाधिकारी देहरादून


उप-प्रमाणित वनाधिकारी
बकराता वन प्रभाग
कालसी




परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


प्रस्तावित परियोजना से लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न ग्रामों/परिवारों/जनसंख्याओं को लाभ प्राप्त होगा।

क्र० सं०	गाँव का नाम	कोड संख्या	जनसंख्या
1	दसउ	479200,H41	238
2	अतल्योँ	479700,H03	325
कुल योग			563


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु कुल 9.7305 हे० भूमि प्रस्तावित है। जिसमें वन पंचायत एवं सिविल सोयम वन भूमि 5.8695 हे० प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल, पाईपलाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (**Primitive Tribal Groups**) व पूर्व कृषि समुदाय (**Primitive Agricultural Tribal Groups**) प्रभावित नहीं हो रहे है।

ह०/- 
जिलाधिकारी
जिलाधिकारी देहरादून

FORM - 1
Government of Uttarakhand
Office of the District collector : Dehradun

No.

Date :

To Whomsoever it May Concern

In compliance of the ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India's Letter no. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Department, Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Daman to Dasau (12.675 Km) motor Road under PMGSY in Dehradun district falls with in jurisdiction of Dasau village in Kalsi Tehsil.

It is further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 8.3305 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure ___to _____.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.- As above.

Signature
(District Collector)

It is further certified

S.No.		Remarks
1	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire <u>8.3305</u> hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure __ to _____.	Not applicable as there are no habitat's belonging to Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers.
2	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas given their consent to it.	Not applicable as there are no habitat's belonging to Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
3	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Not applicable as there are no habitat's belonging to Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers.


Encl.- As above.

Signature
(District Collector)


परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रायोजन हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग को उनकी माँग के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून




परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.875 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून





परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रायोजन हेतु 5.8695 है० सिविल सोयम भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य रू०है० की दर से कुल मूल्य रू० होता है तथा वार्षिक लीज रेन्ट शून्य रू० होता है।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


राजस्व उप निरीक्षक
रा० उप निरीक्षक
क्षेत्र 15 मी
दिनांक 10-5-14





वन विभागाधीक्षक
रीबर रंज
चकराता वन प्रभाग

C.S.

उप जिलाधिकारी
कालसी





उप-वनाधीक्षक
चकराता वन प्रभाग
कालसी


वनाधीक्षक
चकराता वन प्रभाग
देहरादून


परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून




परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


एन०पी०वी० की धनराशि जमा कराने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र


(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 एवं 09.05.2008 के अनुसार)

(A) प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र 5.8695 है० माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास के अन्तर्गत आता है।

उपरोक्त अनुसार उक्त वन क्षेत्र का घनत्व 0.1 से 0.2 प्रतिशत है जिस हेतु एन०पी०वी० की प्रति है० दर रू० 8.45 मात्र है। उक्त दर के अनुसार एन०पी०वी० की धनराशि का आगणन रू० 49.592 किया गया है तथा वार्षिक लीज रेन्ट 00.00 प्रतिशत की दर से 00.00 रू० होता है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून




परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसठ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


Cost Benefit Ratio Chart

Block:-Kalsi


Dist:- Dehradun

S.No.	Particulars	Amount	Remark
1	Total cost (Investment incurred)		-
(A)	Construction Cost of Project	8,69,48,000.00	-
(B)	NPV Amount to be disposed		-
(C)	Substitute/Alternation Plantation Cost to be Disposed:-	5456070.00	-
	Total	-	-
2	Benefits:-		-
	Benefits from (Taking Age of Road As 100 Years)		-
(A)	Economics Benefits-Market Development Taking – 10 shops are established after construction of above road taking minimum benefit for pae shop per day Rs. 300.00 benefit for 10 shops per month $10 \times 30 \times 300 = 90000.00 \times 12 = 10,80,000.00$ Benefit for 100 years = $1080000 \times 100 = 10,80,00,000.00$	10,80,00,000.00	-
(B)	Employment Generation Due to other activities like Transportation market development etc. take 15 people get per month @ 8000.00 per month. Benefit for 1 year = $8000 \times 12 \times 15 = 1440000.00$ / year Benefit for 100 years = $1440000.00 = 14,40,00,000.00$	14,40,00,000.00	-
(C)	Tourism:- Employment growth due to tourism activities = 1 Lack/Year/Man If 5 people get employment. Therefore 100 Years benefit = $1 \times 5 \times 100 = 5,00,00,000$	5,00,00,000.00	-
Note	Therefore construction of Economically Viable and social beneficial.	-	-


कमिष्ट अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


राज्य वन विभाग
बकराता वन प्रभाग
कालसी


राज्य वन विभाग
बकराता वन प्रभाग
बकराता देहरादून


परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसठ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


Parameter for Evaluation of loss of Forests


Nature of Proposal

Annexure-VI (B)


S.No.	Parameters	Roads Tr lines & Railway line
1	2	3
1	Loss of Value of timber, fuel wood and minor forest produce on an annul basis, including loss of man hours per annum of people who derived livelihood and wage from the harvest of these commodities	-----
2	Loss of Animals husbandry productivity including loss of fodder	-----
3	Cost of human resettlement	-----
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project	-----
5	Environmental losses;(Soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, microclimate upsetting of ecological balance)	-----
6	Suffering to ousters.	-----


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


जन-प्रशमनीय बनाविकारी
चकराता द. प्रभाष
कालसी


जन-प्रशमनीय बनाविकारी
पुष्पजीप खमसिखिया
चकराता देहरादून

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसस मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


Parameter for Evaluation of Benefit, notwithstanding loss of Forests.


Nature of Proposal

Annexure-VI (C)


Sr. no	Parameters	Roads Taran lines
1	Increase in productivity attributable to the specific project	First add Madical kit = 100 per @ 1200/- = 120000.00
2	Benefits to economy	About 1.00 lac per year due to milk production, vegetable, fruits, tourism and other mining mineral materials.
3	No of population benefited	906 People
4	Employment potential	15 permanent & above 865 temporary labours in this project will get employment to local youth, their social, economic, cultural, emotional life structure will be benefited.
5	Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible	Nap land 5.454 Hect.
6	Loss of (a) agricultural & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land	Nil
7	Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amounts given for displacement	No Rehabilitation.
8	Cost of supply of free fuel-wood to workers residing in or near forest area during the period of construction	Kerosene Oil/Gas Connection service is available in the area/dry fuel wood will be sufficient from nearby Nigam Depot during construction.
9	Medical Parameter	In case of Accidents or any medical Emergency. The people of that villages (having population of 906) will get medical facility in minimum duration.
10	Educational Parameter	The school going childrens who were used for agriculture activities, will be reduced & the students may go to the nearest College to get higher education.
11	Environmental Parameter	In case of fire, employees of Forest Department can control over it easily and this road may work as a fire line in the forest area & the employees of Forest Department can take care of their forest assets easily.
12	Tourism Parameter	The people of that place will get benefit due to the tourism activities.

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
बकराता का प्रभाग
देहरादून


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



उप-प्रभागीय वनाधिकारी
बकराता का प्रभाग
देहरादून

उप-प्रभागीय वनाधिकारी


परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


स्थल विशिष्ट होने न होने का प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


वन-प्रशासी
रीबर रंज
प्रकृता वन प्रभाग



प्रशासी वनाधिकारी
प्रकृता वन प्रभाग
देहरादून




वन-प्रशासी वनाधिकारी
प्रकृता वन प्रभाग
कालसी

MUCK DISPOSAL PLAN

TYPICAL SECTION OF MUCK DISPOSAL YARD



सहायक अभियन्ता
निमाण खण्ड लो० नि० वि०
हरिद्वार (मु०-कालसी)

Name of Work : Construction of Deman to Desau Motor road under PMGSY.

Name of Block: Kalsi (Dehradun)

Muck Received From Hill Side Cutting

Length:12.675 KM

Sr.No.	Description of work	Quantity	Unit
	Material recived from hill side cutting (1/2 X 12675 X 4 X 4.60)	116610.00	Cum
Disposal and use of Material			
1	Construction of coolie walling		
2	R.R. Stone Mesonary laid in 1:5	1638.00	cum
3	R.R. Stone Mesonary laid in Dry	3795.34	cum
4	Hand Packed Stone Filling	9975.11	cum
5	Construction of Wire Create	7991.46	cum
6	Making of Edge Stone (0.200x0.450x0.100)	28541.25	cum
7	Construction of Parapet (2x0.60x0.45)	56.82	cum
8	Construction of Pillars (0.300x0.300x0.400)	177.66	cum
9	Construction of Scupper (878.70 rm @ 5.29 cum/m)	36.58	cum
10	Material Used for hill side pucca k/c drain (Quantity=1170.00 rmt)(@0.167cum/rmt)	3575.51	cum
11	C.R. Stone masonry laid in1:4/1:5	150.97	cum
12	G S B Filling	383.76	cum
13	Qty of Material to be disposed along the Road side (25% of hill side cutting)	6332.21	cum
	TOTAL	91807.17	cum

Quantity of Muck to be disposed at dumping places = (Material Received-
Materia used) cum


24802.83 cum

Add Swell factor (Bulkage) @ 25% extra

6200.71

TOTAL


31003.54 Cum



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
हरिद्वार (मु०-कालसी)

MUCK DISPOSAL EXCERSISE INDEX

1. Construction of Daman to Dasau Motor road under PMGSY, CD, Division Kalsi Muck Disposa Annexure-I
2. Details Of Muck Diposal Yards With land Owner Annexure-II



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
हरिद्वार (मु०-कालसी)

Name of Work : Construction of Deman to Desau Motor road under PMGSY.


Name of Block: Kalsi (Dehradun)	Length: 12.675 KM
---------------------------------	-------------------

Detail of measurements for Private Land

1									
Excavation in foundation for retaining & brest walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in charge.									
Sl. No.	Location of wire crate	No.			L	B	H/D	Qty.	Unit
X- Section's									
1	2.240 to 2.490 Km	1	x	1	250.00	1.50	0.50	187.50	Cum
2	2.940 to 3.120 Km	1	x	1	180.00	1.50	0.50	135.00	Cum
3	3.490 to 3.570 Km	1	x	1	80.00	1.50	0.50	60.00	Cum
4	4.730 to 5.010 Km	1	x	1	280.00	1.50	0.50	210.00	Cum
5	5.280 to 5.360 Km	1	x	1	80.00	1.50	0.50	60.00	Cum
6	5.590 to 5.700 Km	1	x	1	110.00	1.50	0.50	82.50	Cum
7	5.880 to 6.110 Km	1	x	1	230.00	1.50	0.50	172.50	Cum
8	6.270 to 6.480 Km	1	x	1	210.00	1.50	0.50	157.50	Cum
9	6.930 to 7.260 Km	1	x	1	330.00	1.50	0.50	247.50	Cum
10	7.460 to 7.710 Km	1	x	1	250.00	1.50	0.50	187.50	Cum
11	9.800 to 10.270 Km	1	x	1	470.00	1.50	0.50	352.50	Cum
12	10.470 to 10.960 Km	1	x	1	490.00	1.50	0.50	367.50	Cum
13	11.130 to 11.650 Km	1	x	1	520.00	1.50	0.50	390.00	Cum
14	11.805 to 12.385 Km	1	x	1	580.00	1.50	0.50	435.00	Cum
15	12.505 to 12.675 Km	1	x	2	170.00	1.50	0.50	255.00	Cum
TOTAL								3045.00	Cum
2									
Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with a 8 gauge BWG GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each.(As per PWD Uttarakhand Specification)									
Sl. No.	Item of Work	No.			L	B	H/D	Qty.	Unit
X- Section's									
1	2.240 to 2.490 Km	1	x	1	250.00	1.50	1.50	562.50	Cum
	2nd	1	x	1	250.00	1.50	1.50	562.50	Cum
	3rd	1	x	1	250.00	1.50	1.50	562.50	Cum
2	2.940 to 3.120 Km	1	x	1	180.00	1.50	1.50	405.00	Cum
	2nd	1	x	1	180.00	1.50	1.50	405.00	Cum
	3rd	1	x	1	180.00	1.50	1.50	405.00	Cum
3	3.490 to 3.570 Km	1	x	1	80.00	1.50	1.50	180.00	Cum
	2nd	1	x	1	80.00	1.50	1.50	180.00	Cum
	3rd	1	x	1	80.00	1.50	1.50	180.00	Cum
4	4.730 to 5.010 Km	1	x	1	280.00	1.50	1.50	630.00	Cum
	2nd	1	x	1	280.00	1.50	1.50	630.00	Cum
	3rd	1	x	1	280.00	1.50	1.50	630.00	Cum
5	5.280 to 5.360 Km	1	x	1	80.00	1.50	1.50	180.00	Cum
	2nd	1	x	1	80.00	1.50	1.50	180.00	Cum
	3rd	1	x	1	80.00	1.50	1.50	180.00	Cum
6	5.280 to 5.360 Km	1	x	1	110.00	1.50	1.50	247.50	Cum
	2nd	1	x	1	110.00	1.50	1.50	247.50	Cum
	3rd	1	x	1	110.00	1.50	1.50	247.50	Cum
7	5.880 to 6.110 Km	1	x	1	230.00	1.50	1.50	517.50	Cum
	2nd	1	x	1	230.00	1.50	1.50	517.50	Cum

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
रिस्कार (मु०-कालसी)

		1	x	1	230.00	1.50	1.50	517.50	Cum
	3rd	1	x	1	210.00	1.50	1.50	472.50	Cum
	6.270 to 6.480 Km	1	x	1	210.00	1.50	1.50	472.50	Cum
8	2nd	1	x	1	210.00	1.50	1.50	472.50	Cum
	3rd	1	x	1	330.00	1.50	1.50	742.50	Cum
	6.930 to 7.260 Km	1	x	1	330.00	1.50	1.50	742.50	Cum
9	2nd	1	x	1	330.00	1.50	1.50	742.50	Cum
	3rd	1	x	1	250.00	1.50	1.50	562.50	Cum
	7.460 to 7.710 Km	1	x	1	250.00	1.50	1.50	562.50	Cum
10	2nd	1	x	1	250.00	1.50	1.50	562.50	Cum
	3rd	1	x	1	470.00	1.50	1.50	1057.50	Cum
	9.800 to 10.270 Km	1	x	1	470.00	1.50	1.50	1057.50	Cum
11	2nd	1	x	1	470.00	1.50	1.50	1057.50	Cum
	3rd	1	x	1	490.00	1.50	1.50	1102.50	Cum
	10.470 to 10.960 Km	1	x	1	490.00	1.50	1.50	1102.50	Cum
12	2nd	1	x	1	490.00	1.50	1.50	1102.50	Cum
	3rd	1	x	1	520.00	1.50	1.50	1170.00	Cum
	11.130 to 11.650 Km	1	x	1	520.00	1.50	1.50	1170.00	Cum
13	2nd	1	x	1	520.00	1.50	1.50	1170.00	Cum
	3rd	1	x	1	580.00	1.50	1.50	1305.00	Cum
	11.805 to 12.385 Km	1	x	1	580.00	1.50	1.50	1305.00	Cum
14	2nd	1	x	1	580.00	1.50	1.50	1305.00	Cum
	3rd	1	x	1	170.00	1.50	1.50	382.50	Cum
	12.505 to 12.675 Km	1	x	1	170.00	1.50	1.50	382.50	Cum
15	2nd	1	x	1	170.00	1.50	1.50	382.50	Cum
	3rd	1	x	1	170.00	1.50	1.50	382.50	Cum
								Total	27405.00
									Cum


 सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
 हरिद्वार (मु०-कालसी)

Name of Work : Construction of Deman to Desau Motor road under PMGSY.

TOTAL CARRYING CAPACITY OF DUMPING YARD

Name of Block: Kalsi (Dehradun)


Length: 12.675 KM

S. No.	Location of wire-Crates			Type of Land	No.	Size of catchment area of wire-crates			Quantity (cum)	Unit
	X-section's	Latitude	Longitude			Length (m)	Width (m)	Height (m)		
1	2.240 to 2.490 Km	30°35'53.11"N	77°45'5.19"E	Nap Land	1/2	250.00	3.50	4.20	1837.50	Cum
2	2.940 to 3.120 Km	30°35'54.87"N	77°45'22.31"E	Nap Land	1/2	180.00	3.50	4.20	1323.00	Cum
3	3.490 to 3.570 Km	30°35'50.05"N	77°45'4.86"E	Nap Land	1/2	80.00	3.50	4.20	588.00	Cum
4	4.730 to 5.010 Km	30°35'44.04"N	77°45'10.63"E	Nap Land	1/2	280.00	3.50	4.20	2058.00	Cum
5	5.280 to 5.360 Km	30°35'45.09"N	77°45'22.63"E	Nap Land	1/2	80.00	3.00	4.20	504.00	Cum
6	5.590 to 5.700 Km	30°35'40.67"N	77°45'13.48"E	Nap Land	1/2	110.00	3.50	4.20	808.50	Cum
7	5.880 to 6.110 Km	30°35'43.44"N	77°45'22.20"E	Nap Land	1/2	230.00	3.50	4.20	1690.50	Cum
8	6.270 to 6.480 Km	30°35'40.21"N	77°45'15.62"E	Nap Land	1/2	210.00	3.50	4.20	1543.50	Cum
9	6.930 to 7.260 Km	30°35'32.90"N	77°45'40.09"E	Nap Land	1/2	330.00	3.50	4.20	2425.50	Cum
10	7.460 to 7.710 Km	30°35'27.57"N	77°45'54.88"E	Nap Land	1/2	250.00	3.50	4.20	1837.50	Cum
11	9.800 to 10.270 Km	30°34'57.04"N	77°46'9.60"E	Nap Land	1/2	470.00	3.50	4.20	3454.50	Cum
12	10.470 to 10.960 Km	30°34'45.98"N	77°46'15.45"E	Nap Land	1/2	490.00	3.50	4.20	3601.50	Cum
13	11.130 to 11.650 Km	30°34'44.08"N	77°46'18.76"E	Nap Land	1/2	520.00	3.50	4.20	3822.00	Cum
14	11.805 to 12.385 Km	30°34'47.72"N	77°46'36.09"E	Nap Land	1/2	580.00	3.50	4.20	4263.00	Cum
15	12.505 to 12.675 Km	30°34'54.84"N	30°34'54.84"N	Nap Land	1/2	170.00	3.50	4.20	1249.50	Cum
						2115.00		Total	31006.50	Cum


Carrying Capacity of Dumping Yard = 31006.50 Cum

Total Quantity of material to be disposed to the dumping yard = 31003.54 Cum

Hence Safe. 2.96 Cum



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
हरिद्वार (मु०-कालसी)



अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
कालसी. (देहरादून)


Name of Work : Construction of Deman to Desau Motor road under PMGSY.


Name of Block: Kalsi (Dehradun)

Length:12.675 KM

Muck Dumping Area of Nap Land

S. No.	Location of wire-Crates			Type of Land	Size of catchment area of wire-crates		Area	Area
	X-section's	Latitude	Longitude		Length (m)	Width (m)	(Sqm)	(Hect.)
1	2.240 to 2.490 Km	30°35'53.11"N	77°45'5.19"E	Nap Land	250.00	3.50	875.00	0.088
2	2.940 to 3.120 Km	30°35'54.87"N	77°45'22.31"E	Nap Land	180.00	3.50	630.00	0.063
3	3.490 to 3.570 Km	30°35'50.05"N	77°45'4.86"E	Nap Land	80.00	3.50	280.00	0.028
4	4.730 to 5.010 Km	30°35'44.04"N	77°45'10.63"E	Nap Land	280.00	3.50	980.00	0.098
5	5.280 to 5.360 Km	30°35'45.09"N	77°45'22.63"E	Nap Land	80.00	3.00	240.00	0.024
6	5.590 to 5.700 Km	30°35'40.67"N	77°45'13.48"E	Nap Land	110.00	3.50	385.00	0.039
7	5.880 to 6.110 Km	30°35'43.44"N	77°45'22.20"E	Nap Land	230.00	3.50	805.00	0.081
8	6.270 to 6.480 Km	30°35'40.21"N	77°45'15.62"E	Nap Land	210.00	3.50	735.00	0.074
9	6.930 to 7.260 Km	30°35'32.90"N	77°45'40.09"E	Nap Land	330.00	3.50	1155.00	0.116
10	7.460 to 7.710 Km	30°35'27.57"N	77°45'54.88"E	Nap Land	250.00	3.50	875.00	0.088
11	9.800 to 10.270 Km	30°34'57.04"N	77°46'9.60"E	Nap Land	470.00	3.50	1645.00	0.165
12	10.470 to 10.960 Km	30°34'45.98"N	77°46'15.45"E	Nap Land	490.00	3.50	1715.00	0.172
13	11.130 to 11.650 Km	30°34'44.08"N	77°46'18.76"E	Nap Land	520.00	3.50	1820.00	0.182
14	11.805 to 12.385 Km	30°34'47.72"N	77°46'36.09"E	Nap Land	580.00	3.50	2030.00	0.203
15	12.505 to 12.675 Km	30°34'54.84"N	30°34'54.84"N	Nap Land	170.00	3.50	595.00	0.060
					2115.00		14765.00	1.477


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
हरिद्वार (मु०-कालसी)


अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
कालसी (देहरादून)

FORMAT.B

Statement Showing Land Area Required For Construction of Road

Block: Kalsi Tehsil: Kalsi District: Dehradun


Name of Work: Construction of Daman to Dasau motor road


S.No.	Chainage	Revenue Village	K.No.	Land (Hac.)	Owner of Land	Required Land			Type of Land	Remarks
						BPL/SC/ST	Sqm.	Hac.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		दी	78/46	0.070	बंड आदि			0.005		
			78/48	0.010				0.100		
			78/49	0.060				0.060		
			78/50	0.070				0.050		
2		दी	84/51	0.070	रेनु आदि			0.010		
3		दी	19/427	0.551	गोपाल सिंह राहुल मनोज आदि			0.162		
4		दी	33/365	0.061	खाल सिंह आदि			0.061		
			33/366	0.061				0.011		
			33/412	0.049				0.049		
			33/622	0.012				0.012		
5		दी	24/389	0.154	जुईया रणसिंह वर्ण सिंह आदि			0.135		
			24/393	0.089				0.009		
			24/423	0.053				0.014		
			24/514	0.045				0.021		
			24/619	0.012				0.012		
			24/808	0.024				0.010		
6		दी	47/391	0.032	बीजा मेहर सिंह अमर सिंह आदि			0.009		
			47/420	0.170				0.036		
			47/567	0.077				0.035		
			47/579	0.040				0.032		
7		दी	47/387	0.053	बीजा मेहर सिंह अमर सिंह आदि			0.027		
			48/388	0.146				0.072		
			48/411	0.134				0.014		
			48/568	0.040				0.025		
8		दी	48/616	0.016	मु० नकटी			0.016		
			53/441	0.077				0.072		
			7/143	0.036		कृपा आदि			0.036	
			7/569	0.036					0.015	
7/621	0.016			0.016						
7/910	0.004			0.004						
9		दी	40/421	0.401	बुदिराम मोहन सिंह कातकू आदि			0.054		
			40/424	0.130				0.103		
			40/452	0.089				0.042		
10		दी	41/560	0.040	बुदिराम मोहन सिंह कातकू आदि			0.005		
			41/583	0.032				0.015		
			41/593	0.036				0.036		
			41/615	0.028				0.028		
11		दी	72/456	0.267	काशीराम आदि			0.056		
			72/459	0.267				0.040		
			72/572	0.053				0.021		
			72/623	0.097				0.053		
			72/915	0.024				0.005		
12		दी	10/570	0.020	कातकू आदि			0.015		
			10/578	0.036				0.030		
			10/592	0.032				0.032		
			10/613	0.016				0.006		
			10/919	0.061				0.020		
13		दी	4/581	0.028	कचलु आदि			0.005		
			4/582	0.049				0.010		
			4/918	0.004				0.004		
14		दी	42/614	0.004	बुदिराम मोहन सिंह कातकू			0.004		
15		दी	11/911	0.008	किरण सिंह आदि			0.008		
			11/912	0.024				0.024		

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
हरिद्वार (मु०-कालसी)


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
कालसी (देहरादून)

S.No.	Chainage	Revenue Village	K.No.	Land (Hac.)	Owner of Land	Required Land		Type of Land	Remarks
						BPL/SC/S T	Sqm. Hac.		
					Name				
			11/913	0.004				0.004	
17		दी	20/914	0.004	गोपाल सिंह कच्छु राहुल आदि			0.004	
			23/920	0.020				0.010	
18		दी	23/851	0.024	धेनु आदि			0.024	
			23/852	0.012				0.002	
19		दी	69/850	0.028	रातराम आदि			0.028	
					कुल योग			1.818	
			24/290	0.040				0.020	
			24/291	0.016				0.016	
			24/266	0.040				0.025	
			24/270	0.008				0.003	
1		अतल्यी	24/271	0.008	पूरन सिंह आदि			0.003	
			24/320	0.040				0.02	
			24/359	0.008				0.008	
			24/362	0.016				0.005	
			24/487	0.065				0.026	
			24/507	0.032				0.01	
2		अतल्यी	37/267	0.016	भुमी देवी आदि			0.016	
3		अतल्यी	18/268	0.036	तुलसी मनु आदि			0.016	
			18/485	0.020				0.02	
4		अतल्यी	7/269	0.032	गोविन्द सिंह मदन सिंह जगत सिंह आदि			0.01	
			33/272	0.020				0.003	
5		अतल्यी	33/354	0.032	भूप सिंह आदि			0.005	
			33/602	0.020				0.02	
			33/641	0.012				0.012	
			1/319	0.028				0.02	
6		अतल्यी	1/356	0.012	आसादू आदि			0.012	
			1/318	0.028				0.005	
			1/369	0.065				0.034	
			1/363	0.036				0.036	
7		अतल्यी	43/350	0.008				0.008	
			44/351	0.008				0.008	
8		अतल्यी	44/490	0.057	विजय सिंह आदि			0.057	
			44/506	0.077				0.01	
			35/352	0.008				0.005	
9		अतल्यी	35/357	0.004	भादू आदि			0.004	
			35/561	0.008				0.008	
			35/564	0.045				0.045	
			35/565	0.040				0.01	
			35/603	0.081				0.015	
10		अतल्यी	11/355	0.004	चौली देवी आदि			0.004	
11		अतल्यी	60/292	0.270	धेनु आदि			0.054	
12		अतल्यी	26/358	0.008	प्रीतम सिंह			0.008	
			31/360	0.008				0.005	
13		अतल्यी	31/371	0.024	बलवीर सिंह आदि			0.024	
			31/508	0.036				0.036	
14		अतल्यी	28/367	0.089	बुद्धिराम आदि			0.028	
			28/484	0.049				0.01	
			55/439	0.180				0.027	
15		अतल्यी	55/437	0.025	असादू सिंह आदि			0.025	
			55/773	0.333				0.035	
			55/433	0.023				0.005	
			36/438	0.036				0.025	
16		अतल्यी	36/464	0.081	भोपू राम कासू ससिया			0.040	
			36/477	0.010				0.016	
			36/674	0.105				0.035	
			20/462	0.069				0.005	
17		अतल्यी	20/673	0.073	दौलत सिंह आदि			0.054	
			20/671	0.036				0.005	
			20/455	0.012				0.012	


 सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
 हरिद्वार (मु०-कालसी)


 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
 कालसी (देहरादून)

S.No.	Chainage	Revenue Village	K.No.	Land (Hac.)	Owner of Land	BPL/SC/ST	Required Land	Type of Land	Remarks
					Name		Sqm.	Hac.	
18		अतल्यी	61/466	0.105	छदू फतू			0.030	
			61/771	0.103				0.063	
19		अतल्यी	52/435	0.433	पूरण सिंह कुन्दन सिंह आदि			0.032	
		अतल्यी	6/672	0.028				0.010	
20		अतल्यी	6/472	0.012	गलू आदि			0.005	
			6/453	0.024				0.024	
			6/454	0.020				0.024	
21		अतल्यी	12/667	0.040	छदू आदि			0.032	
			12/471	0.049				0.049	
			12/481	0.012				0.012	
22		अतल्यी	2/666	0.065	गेमादू आदि			0.025	
23		अतल्यी	57/467	0.040	कानिया आदि			0.025	
24		अतल्यी	21/475	0.053	भोटू आदि			0.053	
25		अतल्यी	10/486	0.016	धेमू सिंह			0.016	
					कुल योग			1.348	
1		खत विसाहल	65/1207	0.093	बहादूर सिंह आदि			0.010	
			65/1209	0.036				0.015	
			65/1216	0.028				0.028	
			65/1234	0.081				0.028	
			65/1236	0.061				0.020	
2		खत विसाहल	67/1208	0.036	बहादूर सिंह आदि			0.036	
3		खत विसाहल	49/1215	0.065	घनदराम हंसराम सियाराम आदि			0.032	
4		खत विसाहल	54/1217	0.158	नारायण सिंह कल सिंह ध्यान सिंह आदि			0.100	
5		खत विसाहल	51/1201	0.045	रूपराम सिंह आदि			0.005	
			51/1237	0.097				0.024	
			51/1322	0.105				0.020	
6		खत विसाहल	78/1238	0.150	रूपराम सिंह सुरेश आदि			0.061	
			78/1321	0.186				0.045	
7		खत विसाहल	44/1292	0.073	दान सिंह आदि			0.048	
8		खत विसाहल	26/1290	0.085	गुमान सिंह भगत सिंह आदि			0.005	
9		खत विसाहल	94/1289	0.069	गुमान सिंह नाम चन्द प्रेम सिंह आदि			0.005	
10		खत विसाहल	32/1293	0.142	जगत सिंह आदि			0.061	
			32/1316	0.053				0.005	
11		खत विसाहल	11/1293/1821	0.081	कृपाराम आदि			0.042	
12		खत विसाहल	31/1368	0.255	जगत सिंह चैत राम आदि			0.018	
13		खत विसाहल	82/1369	0.101	माधू दर्शन सिंह जालम सिंह			0.035	
14		खत विसाहल	84/1370	0.049	मेहरा सिंह आदि			0.032	
					कुल योग			0.675	




अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोणनिर्माण
कालसी (देहरादून)

Name of work : Construction of Daman to Dasau (Stage I) motor road under PMGSY

Name of Block : Kalsi (Dehradun)

Length : 12.675 Km




Km - 2.240 - 2.490



Km - 2.940 - 3.120



Km - 3.490 - 3.570


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
बरेल्लार (मु०-कालसी)

Name of work : Construction of Daman to Dasau (Stage I) motor road under PMGSY

Name of Block : Kalsi (Dehradun)

Length : 12.675 Km



Km - 4.730 - 5.010



Km - 5.280 - 5.360



Km - 5.590 - 5.700


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
हरिद्वार (मु०-कालसी)

Name of work : Construction of Daman to Dasau (Stage I) motor road under PMGSY

Name of Block : Kalsi (Dehradun)


Length : 12.675 Km



Km - 5.880 - 6.110



Km - 6.270 - 6.480



Km - 6.930 - 7.260

निमाग जम्बला
निमाण जम्ब लीन नि० वि०
हरिद्वार (मु०-अवधी)

Name of work : Construction of Daman to Dasau (Stage I) motor road under PMGSY

Name of Block : Kalsi (Dehradun)

Length : 12.675 Km


Km - 7.460 - 7.710



Km - 9.800 - 10.270



Km - 10.470 - 10.960




सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
हरिद्वार (मु०-कालसी)

Name of work : Construction of Daman to Dasau (Stage I) motor road under PMGSY

Name of Block : Kalsi (Dehradun)

Length : 12.675 Km



Km - 11.130 - 11.650



Km - 11.805 - 12.385




Km - 12.505 - 12.675



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड सो० नि० वि०
हरिद्वार (मु०-कालसी)


परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मक डम्पिंग प्लान / प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून में तहसील कालसी के अन्तर्गत फेज-X में प्रस्तावित, दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण से उत्पादित मलवे को उचित प्रक्रियानुसार सुरक्षित स्थान पर डम्पिंग किया जायेगा। मलवा कहीं भी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र एवं जल स्रोतों में नहीं डाला जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसठ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवज़े का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमियों का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये, वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा०नि०वि० के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व० क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी सा०नि०वि० द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण-पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खण्डे वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ०प्र० वन निगम अथवा और कोई उपर्युक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परियोजना व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाये का भुगतान याचक विभाग, वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खण्डे वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाँज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के डपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को डँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टियों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर में आश्वासन प्राप्त हो जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य हैं।



कनिष्ठ अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

सहायक अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

अधिसासी अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर०सी०सी० पिलरों का निर्माण


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून में तहसील कालसी, के अन्तर्गत फेज-X में प्रस्तावित, दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के दोनों तरफ सीमांकन पिल्लर/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

सीमांकन प्राकलन

क्र०सं०	कार्य मद विवरण	लम्बाई (कि०मी०) में	दर प्रति (कि०मी०) में	घनराशी रूपये में
1	वन भूमि के दोनों तरफ 60 X 60 X 60 के 1: 2: 4 सीमेंट प्लास्टर व दो कोट सफेदी के सीमांकन पिल्लर का निर्माण कार्य	12.675	11640.00	147537
Total				147600



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

वन-प्रभागीय बनाधिकारी
चक्रवर्ती वन प्रभाग
कालसी





वन-प्रभागीय बनाधिकारी
शिवर रंज
चक्रवर्ती वन प्रभाग

प्रभागीय बनाधिकारी
चक्रवर्ती वन प्रभाग
देहरादून


परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि लीज पर नहीं ली जा रही है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून





परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान


प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के दायरे में किसी भी प्रकार के जल विद्युत परियोजना नहीं है, और न ही प्रस्तावित है इसलिए कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


वन क्षेत्राधिकारी
रीबर रेंज
शकराता वन प्रभाग


वन-प्रकार अधिकारी
शकराता वन प्रभाग
कालसी



प्रमाणित वन-अधिकारी
शकराता वन प्रभाग
शकराता देहरादून



परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना से सम्बन्धित अन्य सूचनायें

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज-X में प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में परियोजना से सम्बन्धित कोई अन्य ऐसी सूचना नहीं है, जिसे कि प्रस्ताव में सम्मिलित न की गई हो।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून





परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में
प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज-X में प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), का नव निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


वन क्षेत्रीय वनाधिकारी
वन प्रभाग
कालसी


वन क्षेत्रीय वनाधिकारी
रीबर रेंज
चकरता वन प्रभाग


वन क्षेत्रीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
चकरता देहरादून




परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को ईंधन के प्रयोग के लिये प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कुकिंग गैस/केरोसिन ऑयल उपलब्ध कराया जायेगा ताकि आस-पास वनों के वृक्षों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी।

~~कनिष्ठ अभियन्ता~~
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून




परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र/दस्तावेज तैयार कर प्रस्ताव में चस्पा है।



हार्दिक अशुक्ला
प्रकारमंत्री वन सड़क योजना
निर्माण अण्ड लोप-अधिकारी हरिद्वार




(प्रमाणिक वनाधिकारी)
देहरादून वन प्रभाग
बकराता देहरादून



अप-प्रमाणिक वनाधिकारी
बकराता वन प्रभाग
✓ अशुक्ला

मानचित्र

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का नव अन्तर्गत दमन से दसलु मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०) का नव निर्माण ।



9/28

2/19

जयदेव

कोटवाल

3/34


सड़क आयोजना

मिथुन, दमन से 12.675 कि० मी० (12.675)



अधिकारी, आयोजना
प्रकल्पकी आयोजना, देहरादून
मिथुन, दमन से 12.675 कि० मी० (12.675)

3/34
3/34
3/34



आपका धन्यवाद
समाप्त अथवा
कुल मूल्य 100 रु०

Signature


समाप्त अथवा
कुल मूल्य 100 रु०
10/10/10

Vertical text on the left edge of the page, partially cut off.



अविभागीय अस्पताल
प्रकल्पनी ग्राम स. व. कल्याण
निर्माण कार्य लो. अ. वि. ए. २०१०

आर. ए. ए. ए. ए. ए.
३० सप्टेंबर २०१०
श्री. ए. ए. ए. ए. ए.
दिनांक




सहायक अभियंता
निर्माण विभाग, पिन २४० १२०

२०१०



जगत टेक प्रा. लि.
बहादुर

Handwritten signature and notes in Hindi.



Handwritten number '1120' and other markings.


सहायक अभियंता
पिन २०१०१०

Handwritten signature.



अभियंता
समानवी प्रा. सं. १, अ. सं.
सिद्धी बाजार, लो. २०००००

AGOTEC Pvt. Ltd.
210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000




9/133

समानवी अभियंता
समानवी प्रा. सं. १, अ. सं.
सिद्धी बाजार (जो-खारसी)



AGOTEC PVT. LTD.
Dehradun
2
अधिकृत अभियन्ता
प्रथमरी श्रेणी का
निर्माण कार्य लोड नं. 10



अधिकृत अभियन्ता
निर्माण कार्य लोड नं. 10

AGOTEC

सारांश घमन-देसऊ मोटर मार्ग का निर्माण 13 कि० मी० में आने वाले वृक्षों का
(तुनिया, दौऊ, अल्लेऊ, कीटा, मोटर मार्ग)

प्रजाति	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग										मोटा	विवरण
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-over		
सड़िक हरा खड़ा	खिकिल भूमि	-	2	4	-	2	-	-	-	-	-	8	
भीमल हरा खड़ा	"	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	4	
चिड हरा खड़ा	"	-	-	4	1	2	1	-	-	-	-	8	
गुरिमाल हरा खड़ा	"	-	10	14	1	-	-	-	-	-	-	25	
दौडी हरा खड़ा	"	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3	
नहडा हरा खड़ा	"	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	
अशिना हरा खड़ा	"	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	4	
दुधवा (हिमाल) हरा खड़ा	"	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
कावड हरा खड़ा	"	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	
सड़िक हरा खड़ा	नाप भूमि	-	8	15	3	2	1	2	2	2	-	33	
भीमल हरा खड़ा	"	-	9	5	3	1	-	-	-	-	-	18	
कावड हरा खड़ा	"	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
गुरिमाल हरा खड़ा	"	-	6	9	-	-	-	-	-	-	-	15	
दुधवा (हिमाल) हरा खड़ा	"	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	
सिगरी (गैरी) हरा खड़ा	"	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
अम हरा खड़ा	"	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
खैर हरा खड़ा	खिकिल भूमि	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	12	
आम हरा खड़ा	"	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
कुल मोटा =		04	51	62	14	09	02	01	02	02	00	147	

(माया राम चौहान)
उपनिर्देशक
निर्माण रकड लोनिर्विक
इन्डियन (मुल्मालय-कालसी)
शिवर रंज
प्रकृत वन विभाग

(गवर सिंह शकत)
वन वीट अधिकारी
कोटी वीट

A. N. S.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोनिर्विक
हरिद्वार

(बुद्धि सिंह पवार)
वन दरोगा
कोटी अनुभाग

सारांश घमन-देसक मोटर मार्ग का निर्माण 13 कि० मी० में आने वाले वृक्षों का
(तुनिया, दौआ, अल्लेऊ, कोला, मोटर मार्ग)

प्रजाति	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग										योग	विवरण
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-over		
सड़िक हरा खड़ा	खिकिल भूमि	-	2	4	-	2	-	-	-	-	-	8	
भीमल हरा खड़ा	"	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	4	
नीड हरा खड़ा	"	-	-	4	1	2	1	-	-	-	-	8	
गुरिमाल हरा खड़ा	"	-	10	14	1	-	-	-	-	-	-	25	
घोड़ी हरा खड़ा	"	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3	
बहड़ा हरा खड़ा	"	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	
असिना हरा खड़ा	"	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	4	
दुधवा (लिमला) हरा खड़ा	"	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
कावड हरा खड़ा	"	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	
सड़िक हरा खड़ा	नाप भूमि	-	8	15	3	2	1	2	2	2	-	33	
भीमल हरा खड़ा	"	-	9	5	3	1	-	-	-	-	-	18	
कावड हरा खड़ा	"	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
गुरिमाल हरा खड़ा	"	-	6	9	-	-	-	-	-	-	-	15	
दुधवा (लिमला) हरा खड़ा	"	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	
शिगरी (गैबी) हरा खड़ा	"	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
आम हरा खड़ा	"	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
खैर हरा खड़ा	खिकिल भूमि	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	12	
आम हरा खड़ा	"	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
कुल योग =		04	51	62	14	09	02	01	02	02	00	147	

(माया रामे चौहान)
अधीन
निर्माण रकड लोपनिषि
हरिद्वार (मुहम्मदालय-कालखी)

(गवर सिंह शकत)
का वीट अधिकारी
कोरी वीट

A. N. S.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
हरिद्वार

(बुद्धि सिंह पंवार)
का दरोगा
कोरी अनुभाग


परियोजना का नाम : जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसत मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

शिवर रज
प्रकार का वन प्रस्ताव

परियोजना का नाम:-


जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्ग प्रस्तावित दमन से दसठ मोटर मार्ग (लं० 12.675 कि.मी.) के नव निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

S.N.	Parameters	Alignment-1	Alignment-2
1.	Technically	इस समरेखण की लं० 12.675 कि.मी. है तथा मार्ग 1:18 R 1:20R 1:24R 1:40R के ग्रेड पर निर्माण किया जाना है एवं मोटर मार्ग पर 13 एच.पी. बैण्ड आते हैं।	इस समरेखण की लं० 13.00 कि.मी. है तथा मार्ग 1:18 R 1:20R 1:24R 1:40R के ग्रेड पर निर्माण किया जाना है एवं मोटर मार्ग पर 17 एच.पी. बैण्ड आते हैं। मार्ग की लम्बाई एवं एक एच.पी. बैण्ड अधिक आने के कारण यह मोटर मार्ग टैक्निकली रूप से सही नहीं है।
2.	Geographicaly	भूवैज्ञानिक दृष्टि से मार्ग ज्यादातर कठोर चट्टान से होकर गुजरता है। कठोर चट्टान आने के कारण ज्यादातर मलवा मार्ग निर्माण में प्रयोग किया जा रहा है जिससे मलवा वनभूमि में नहीं गिरेगा एवं भविष्य में स्लिप जोन बनने की संभावना भी कम रहेगी। स्लिप जोन न बनने के कारण भी वन सम्पदा नुकसान नहीं होगा व मोटर मार्ग भी स्टेबल रहेगा।	मार्ग का अधिकतर भाग Loose Stata में है, कठोर चट्टान कम लं० में आने के कारण भविष्य में स्लिप आने के कारण वन सम्पदा अधिक नुकसान पहुंचेगा एवं मलवा खड्ड तथा मलवा भी खड्ड साईड में भी अधिक गिरने की संभावना बनी रहेगी। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह समरेखण सुरक्षित Safe नहीं है एवं वन सम्पदा को अधिक नुकसान पहुंचेगा।
3.	Economic	मार्ग की लं० 12.675 कि.मी. है जिससे मार्ग की निर्माण लागत कम आती है।	मार्ग की लं० 13.00 कि.मी. है। जिससे मोटर मार्ग की निर्माण की लागत भी अधिक आती है। अधिक लम्बाई होने के कारण वनभूमि का क्षेत्रफल भी अधिक आता है, जिससे एन०पी०वी० की धनराशि एवं वृक्षारोपण की धनराशि अधिक आती है। एवं राज्य/केन्द्र सरकार पर वित्तीय प्रभार अधिक पड़ेगा।
4.	Environmentally	मार्ग का 4.290 कि.मी. नाप लैण्ड में है। 5.195 कि.मी. में सिविल एवं सोयम लैण्ड आती है, मार्ग में आरक्षित वनभूमि नहीं आती है। इस समरेखण में पेड़ों की सं० 147 जिनका पातन होना है। दुर्लभ प्रजाती बॉझ के पेड़ इस समरेखण में नहीं आते हैं। इस समरेखण में कम वनभूमि आती है। अतः कम वनभूमि समरेखण में प्रभावित हो रही है।	नाप लैण्ड में 3.540 में 1 एवं कि.मी. 6.250 में सिविल सोयम भूमि आती है, मार्ग में आरक्षित वनभूमि नहीं आती है। इस समरेखण में पेड़ों की सं० 218 जिनका पातन होना है। दुर्लभ प्रजाती बॉझ के पेड़ की सं० 00 एवं इस समरेखण में ज्यादा वनभूमि प्रभावित होने एवं पेड़ों की संख्या ज्यादा आने के कारण यह समरेखण उपयुक्त नहीं है।
5.	Socially	कन्धार, इन्द्रोली जनसंख्या-563 इस मोटर मार्ग से संयोजित हो रहे हैं। इस समरेखण में कम लम्बाई आने के कारण ग्रामवासी शीघ्र मुख्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं।	कन्धार, इन्द्रोली जनसंख्या-563 इस मोटर मार्ग से संयोजित हो रहे हैं। इस समरेखण में कम लम्बाई आने के कारण ग्रामवासी शीघ्र मुख्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। इस समरेखण में ज्यादा लम्बाई आने के कारण काफी समय लगेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० हरिद्वार
(मु०-कालसी)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० हरिद्वार
(मु०-कालसी)


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० हरिद्वार
(मु०-कालसी)


प्रयोगीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
देहरादून


प्रयोगीय वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
चकराता वन प्रभाग


JUSTIFICATION FOR LAND

परियोजना का नाम:-


जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्ग प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (लं० 12.675 कि.मी.) के नव निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

इस मोटर मार्ग निर्माण होने से स्थाई/अस्थायी रोजगार उत्पन्न होगा। ग्रामीण अपने जरूरत का सामान आदि लेने नजदीकी बाजार में आ सकेंगे। इस मोटर मार्ग से 563 जनसंख्या संयोजित हो रही है। ग्रामीण खेतों में पैदा होने वाली कृषि की फसल को किसी भी नजदीकी बाजार में ले जाकर बेच सकेंगे एवं इससे देश Productivity में भी बढोत्तरी होगी। जिससे ग्रामीणों की आय बढेगी। इस मार्ग के निर्माण से उत्तराखण्ड के इस भाग में भी टूरिज्म के अवसर पैदा होंगे, जिससे सरकार की आमदनी होगा। इस गाँव में यातायात की सुविधा न होने के कारण एवं सड़क न होने के कारण बच्चे खेती बाड़ी के कामों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन मोटर मार्ग बनने से बच्चे स्कूल में पढ़ सकेंगे तथा देश के निर्माण में भागेदारी निश्चित कर सकेंगे। जिससे शिक्षा का स्तर बढोत्तरी होगी। इस मोटर मार्ग के बनने से ग्रामीणों को Medical Facility आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। इसके अलावा घर पर काम करने वाली ग्रहणी भी अपने घर के लिए सामान आदि आसानी से उपलब्ध कराने में सक्षम होगी।

इसके मोटर मार्ग के निर्माण से वन विभाग अक्सर आग लगने पर कम समय में आग पर काबू पा सकेंगे एवं यह मार्ग एक फायर लाईन का काम भी करेगी। मोटर मार्ग के निर्माण से फॉरेस्ट अपनी वन सम्पदा की देख-रेख भी आसानी से कर सकेगा। यह एक मात्र समरेखण कम लम्बाई का है जिससे ग्राम कन्धार एवं इन्द्रोली 563 जनसंख्या को जोड़ा जा सकेगा एवं इस मोटर मार्ग से पिछड़े गाँव के लोगों को देश की main Stream लाया जा सकेगा। अतः इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अत्यन्त आवश्यकता है जिसके लिए वनभूमि हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी।


Anil Chauhan


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० हरिद्वार
(मु०-कालसी)




सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० हरिद्वार
(मु०-कालसी)



अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० हरिद्वार
(मु०-कालसी)



प्रभागीय वनधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
देहरादून



उप प्रभागीय वनधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
देहरादून

दुग्ने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने
का प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रायोजन हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग को उनकी माँग के अनुसार योक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

~~कनिष्ठ अभियन्ता~~
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून





प्रयोगीय वन्यधिकारी
शकशता वन प्रभाग
चकराता देहरादून


~~उप प्रयोगीय वन्यधिकारी~~
शकशता वन प्रभाग
चकराता वन

एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कराने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 एवं 09.05.2008 के अनुसार)

प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र 5.8695 है0 माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास के अन्तर्गत आता है।

उपरोक्त अनुसार उक्त वन क्षेत्र का घनत्व 0.1 से 0.2 प्रतिशत है जिस हेतु एन0पी0वी0 की प्रति है0 दर रू0 8.45 मात्र है। उक्त दर के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि का आगणन रू0 49.592 किया गया है तथा वार्षिक लीज रेंट 00.00 प्रतिशत की दर से 00.00 रू0 होता है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिसासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून




उप प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
चकराता वन


प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता (देहरादून)


परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दमन से देसऊ
मोटर मार्ग लम्बाई-12.675 कि०मी० के नव निर्माण हेतु वन
भूमि प्रस्ताव ।

रिक्त पड़े सीनों पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित
वृक्षारोपण हेतु प्रति कि०मी०-रु०- ^{2.0 लाख/कि०मी०} ~~71794.87~~ लाख के दर से कुल रु०- ¹⁰ ~~9,10,000.00~~ लाख की धनराशि
वन विभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी । _{25,35,000.00}



अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,
हरिद्वार(मुख्यालय-कालसी)



प्रामाणिक वनाधिकारी
कसता वन विभाग
कसता देहरादून



उप प्रामाणिक वनाधिकारी
कसता उप व
कसता वन


परियोजना का नाम:-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दमन से देसऊ
मोटर मार्ग लम्बाई-12.675 कि०मी० के नव निर्माण हेतु वन
भूमि प्रस्ताव ।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,
हरिद्वार(मुख्यालय-कालसी)



संरक्षण अधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता देहरादून



उप प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
चकराता वन प्रभाग

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दमन से देसऊ
मोटर मार्ग लम्बाई-12.675 कि०मी० के नव निर्माण हेतु
वन भूमि प्रस्ताव ।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय-कालसी)



प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
कालसी विहार



उप प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
कालसी विहार